कार्यालय
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,लातेहार

आदेश

लातेहार जिलांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी अकुशल श्रमिकों का निबंधन कराया जा रहा है तथा उन्हें पारिवारिक रोजगार कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

पारिवारिक रोजगार कार्ड को एक विशेष अंक व पहचान प्रदत्त किया जा रहा है, ताकि सभी इच्छुक अकुशल श्रमिकों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके व मॅस्टर रोल में प्रत्येक व्यक्ति/परिवार के रोजगार कार्ड के विशिष्टीकृत अंक की प्रविष्टि कर मॅस्टर रोल में होने वाली अनियमितताओं को दूर किया जा सके।

इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का दायित्व है कि निर्धारित अवधि का रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की अवस्था में इच्छुक अकुशल श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करना होगा।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालय प्रधानों को निदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय/विभाग के अधीन किसी भी प्रकार के अकुशल श्रमिक की आवश्यकता की अवस्था में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निबंधित एवं पारिवारिक रोजगार कार्डधारी व्यक्ति को ही अकुशल श्रमिक के रूप में संबद्व किया जायेगा तथा मॅस्टर रोल में अनिवार्यतः अन्य प्रविष्टियों के साथ साथ उस व्यक्ति के रोजगार कार्ड के विशिष्टीकृत अंक की प्रविष्टि की जायेगी, ताकि मॅस्टर रोल में किसी प्रकार के अनियमितता की गुंजाइश न हो तथा यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि उस व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से गारंटी अवधि का रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

वैसे इच्छुक अकुशल श्रमिक जिनके पास रोजगार कार्ड नहीं है, उन्हे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से जांचोपरांत निशुल्क रोजगार कार्ड उपलब्ध कराने का दायित्व भी कार्यालय प्रधान का होगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी किसी भी अवस्था में इच्छुक अकुशल श्रमिक को आवश्यक जांचोपरांत निर्धारित अवधि में रोजगार कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किसी भी कार्यालय प्रधान के अंतर्गत कराये जा रहे अकुशल श्रम का सत्यापन करेंगे व मॅस्टर रोल में अकुशल श्रमिक के रोजगार कार्ड के विशिष्टीकृत अंक की प्रविष्टि का सत्यापन करेंगे।

सभी कार्यालय प्रधानों को प्रत्येक माह इस संबंध में कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट प्रतिवेदन देना होगा कि **'उनके कार्यालय अंतर्गत अकुशल श्रम हेतु निबंधित अकुशल श्रमिकों को ही कार्य के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं व मॅस्टर रोल में अकुशल श्रमिक के रोजगार कार्ड के विशिष्टीकृत अंक की प्रविष्टि की जा रही है । साथ ही वैसे इच्छुक अकुशल श्रमिक जिनके पास रोजगार कार्ड नहीं है, उन्हे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से जांचोपरांत निशुल्क रोजगार कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।'**

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,लातेहार।

ज्ञापांकः - 730 गो0/दिनांक 29/04/2006
प्रतिलिपिः -सभी कार्यालय प्रधानों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,लातेहार।

ज्ञापांकः - 730 गो0/दिनांक 29/04/2006
प्रतिलिपिः -मुख्य सचिव,झारखंड/विकास आयुक्त,झारखंड/प्रधान सचिव,ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,लातेहार।